न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या– 59/2024

जी.सी.एम.एस– 2024/169

अपीलार्थीगणः–

1. वीरो कंवर पुत्री सांग सिंह पत्नी शैतान सिंह
2. सायर कंवर पुत्री सांग सिंह पत्नी जगमाल सिंह
3. चैन कंवर पुत्री सांग सिंह पत्नी भंवर सिंह
4. खमा कंवर पुत्री सांग सिंह पत्नी इन्द्र सिंह

सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम दलपत नगर, खिरजा खास, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगणः–

1. मालम सिंह उर्फ मल सिंह पुत्र श्री सांग सिंह
2. पेप सिंह पुत्र श्री सांग सिंह

जाति राजपूत निवासीगण दलपत नगर, खिरजा खास, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

3. तहसीलदार शेरगढ़, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्व नामांतरकरण सं. 304 खिरजा खास, जो तहसीलदार शेरगढ द्वारा तारीख 05.01.1983 को स्वीकृत किया गया, को निरस्त करवाने हेतु।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह बावरला (अपीलार्थीगण की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री राजेश राठी (प्रत्यर्थी सं. 02 की ओर से)

निर्णय **दिनांक 22.12.2025**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार शेरगढ द्वारा ग्राम खिरजाखास के नामांतरकरण सं. 304 पर पारित आदेश दिनांक 05.01.1983 को अपास्त कराने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 30.07.2019 को पेश की गई।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस/सम्मन जारी किये गये। प्रत्यर्थी सं. 02 की ओर से श्री पीयूष चौहान व श्री राजेश राठी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रत्यर्थी सं. 01 मालमसिंह का नोटिस ओमसिंह पुत्र मालम सिंह द्वारा प्राप्त किया गया परंतु मालम सिह की ओर से किसी ने उपस्थिति नहीं दी।

3. प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस अपील मीमों के अनुसार इस प्रकार है कि ग्राम खिरजा खास, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर के खसरा नं. 14, 68, 69, 70 व 71 कुल रकबा 127–03 बीघा भूमि सांग सिंह व दल सिंह पिता दलजीत सिंह के नाम दर्ज थी, अपीलांट्स व प्रत्यर्थी 01 व 02 सांग सिंह के वारिसान है। सांग सिंह के फौत होने पर ग्राम खिरजा खास का आक्षेपित नामांतरकरण सं. 304 सिर्फ पुत्र प्रत्यर्थी मल सिंह व पेंप सिंह के नाम दिनांक 05.01.1983 को तहसीलदार शेरगढ द्वारा स्वीकार किया गया, अपीलांट्स पुत्रियां भी हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा सांगसिंह की सम्पति में उनका भी पुत्रों के बराबर हक व हिस्सा है परन्तु कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करके बिना किसी प्रकार की जांच किए तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही एकतरफा आक्षेपित नामान्तरकरण प्रत्यार्थी 1 व 2 के नाम दर्ज किया गया हैं। उक्त गलत इन्द्राजों की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 23.7.2019 को पटवारी से नामान्तरकरण की नकल लेने पर हुई। अतः अपील अन्दर म्याद माना जाकर नामान्तरकरण सख्या 304 के ख.न 14, 68, 69, 70 एवं 71 रकबा 127–03 बीघा की भुमि का म्युटेशन अपास्त किया जाकर, अपीलांट्स के नाम भी प्रत्यर्थी 01 व 02 के साथ दर्ज किए जावे।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गई।

5. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह बांवरला ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स व प्रत्यर्थी 1 व 2 सभी सांग सिंह के जायंदा वारिसान है तथा हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की अनुसूची अनुसार प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है तथा राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1955 की धारा 40 के प्रावधानानुसार स्वर्गीय सांगसिंह की कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार विरासत में उन्हे प्राप्त हो चुके है लेकिन अपीलाधीन नामांतरकरण उक्त कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सिर्फ दो पुत्रों के ही नाम गलत दर्ज किया है। अपीलांट्स पुत्रियों का भी पुत्रों के समान सांगसिंह की पुश्तैनी कृषि भूमि में अधिकार व हक है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण सं. 304 को अपास्त किया जावे तथा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

6. प्रत्यर्थी सं. 02 श्री पेंप सिंह की ओर से श्री राजेश राठी, विद्वान अधिवक्ता ने अपीलांट्स के कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि इस अपील के इस न्यायालय में लंबित रहने के दौरान व इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2019 को पारित मौके व राजस्व रिकॉर्ड को यथास्थिति रखने के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए अपीलांट्स के नाम नामांतरकरण दर्ज किया जा चुका है। अपने कथनों के समर्थन में ग्राम दलपतनगर के खाता सं. 67 के ख.नं. 68, 69, 70 की जमाबंदी संवत् 2076–2079 की ऑनलाईन जमाबंदी की प्रति तथा खाता सं. 9 के ख.नं. 71 की जमाबंद़ी पेश की है। इसी प्रकार ग्राम जेठूसिंह नगर के खाता संख्या 60 के ख.नं. 14 की जमाबंदी भी पेश की है, जिसमें अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 304 के ख.नं. 14 (नया गांव जेठूसिंह नगर), ख.नं. 68, 69, 70, 71 (नया ग्राम दलपत नगर) की भूमियों में अपीलांट्स खमा कंवर, वीरो कंवर, चैन कंवर व सायर कंवर का 1/12 हिस्सा खातेदार के रूप में दर्ज है।

विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि दिनांक 05.01.1983 को आक्षेपित नामांतरकरण सं. 304 को इतनी लंबी अवधि 36 वर्षों बाद आक्षेपित नहीं किया जा सकता। देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पर्याप्त कारण अंकित नहीं किये है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी अक्षम्य है। अपीलांट्स का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। प्रत्यर्थीगण 1 व 2 का ही आराजी पर कब्जा है। अतः अपील अस्वीकार की जावे।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व नामांतरकरण सं. 304 का अध्ययन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक गण द्वारा दौराने बहस, प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया।

8. मूल नाम़ांतरकरण सं. 304 ग्राम खिरजा खास के अनुसार ख.नं. 14, 71, 68, 69, 70 की कुल भूमि 127–03 बीघा सांगसिंह, दलसिंह पिता रणजीत सिंह के नाम जमाबंदी के खाता सं. 316 में दर्ज थी। सांगसिंह को फौत बताकर पटवारी खिरजा खास ने दिनांक 04.01.1983 को यह नामांतरकरण मालम सिंह, पेप सिंह पिता सांग सिंह के नाम दर्ज किया है तथा दलसिंह पिता रणजीत सिंह का नाम यथावत रखा है। इस नामांतरकरण को दिनांक 05.01.1983 को तहसीलदार शेरगढ ने जलसे आम में इंद्राज सही मानकर स्वीकृत किया है। उक्त आदेश दिनांक 05.01.1983 से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 30.07.2019 को 36 वर्ष से भी अधिक अवधि व्यतीत होने के बाद आदेश दिनांक 05.01.1983 को अपास्त करने हेतु पेश की है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

9. प्रत्यर्थी 2 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस उपरोक्त पैरा 06 में वर्णित अनुसार आक्षेपित नामांतरकरण सं. 304 ग्राम खिरजा खास से नवसृजित राजस्व ग्रामों की जमाबंदियों की प्रतियां पेश कर कथन किया है कि आक्षेपित नागांतरकरण के ख.नं. 14, 68, 69, 70 व 71 की समस्त भूमियों में इस अपील के लंबित रहने के दौरान स्थगन आदेश के बावजूद नामांतरकरण के जरिये अपीलांट्स ने अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है, जो गलत है। विद्वान अधिवक्ता ने उक्त कथनों व प्रस्तुत रिकॉर्ड का खण्डन; अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने नहीं किया है। हमने अपना खाता पोर्टल से उक्त कथनों व रिकॉर्ड की जांच की तो पाया गया कि–

a) ग्राम दलपत नगर प.मं. खिरजा खास की जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता सं. 67 के ख.नं. 68, 69, 70 कुल रकबा 0.1053 हैक्टर, अपीलांट्स खमा कंवर, चैन कंवर, वीरो कंवर, सायर कंवर, पुत्री सांग सिंह तथा प्रत्यर्थी पेप सिंह, मालम सिंह पिता सांग सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज है।

b) ग्राम दलपत नगर की जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता सं. 9 में ख.नं. 71 रकबा 17.1586 हैक्टर भूमि में अपीलांट्स खमा कंवर, चैन कंवर, वीरो कंवर, सायर कंवर पुत्री सांग सिंह का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा दर्ज है तथा प्रत्यर्थी पेपसिंह व मालम सिंह का नाम भी दर्ज है।

ग्राम जेठू सिंह नगर की जमाबंदी के खाता सं. 60 के ख.नं. 14, रकबा 2.7033 हैक्टर भूमि अपीलांट्स खमा कंवर, चैन कंवर, वीरो कंवर, सायर कंवर पुत्री सांग सिंह तथा प्रत्यर्थी पेंप सिंह, मालम सिंह पिता सांग सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज है।

10. उक्त अभिलेखीय स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलांट्स का नाम पहले से ही राजस्व अभिलेखों में सांगसिंह के वारिसान के रूप में दर्ज है, फिर भी अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तथ्यों को छुपाते हुए, प्रकरण में मेरिट पर बहस की है, जिसका कोई न्यायिक/विधिक औचित्य नहीं है। अतएव अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील उक्त अभिलेखीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में निष्प्रभावी (Infructuous) हो जाने से खारिज योग्य है तथा गुणावगुण पर परीक्षण करने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

11. फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।
12. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, शेरगढ को लौटाया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

13. प्रकरण में लंबित समस्त प्रार्थना पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र भी खारिज किये जाते है।
14. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तार हो। नंबर रो कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर